तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.135/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
29.12.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (हितेश पुरोहित पुत्र श्री कन्हैयालाल, विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म भगवती फूड प्रोडक्टस, मैन रोड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (कन्हैयालाल पुरोहित पुत्र जसाजी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भगवती फूड प्रोडक्टस, मैन रोड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.2.2023 को फर्म भगवती फूड प्रोडक्टस, मैन रोड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी हितेश पुरोहित पुत्र श्री कन्हैयालाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Real Fresh Brand) का नमूना संख्या S-2032 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./371/Act/ 2023/397 दिनांक 09.3.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी हितेश पुरोहित ने नियत सुनवाई तिथि 19.12.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी कन्हैयालाल को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी हितेश पुरोहित को सुना गया, जिसने यह अनुरोध किया कि कन्हैयालाल पुरोहित (प्रतिवादी संख्या–2) उसके पिताजी है तथा वे बाहर गये हुये है। यह कि हमारा व्यापार छोटा है तथा हम बाहर से सोयाबिन ऑयल लाकर बेचते है एवं जिस अवस्था में खरीदा था उसी अवस्था में बेचा है, इसलिये दोषमुक्त करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 23.2.2023 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान फर्म भगवती फूड प्रोडक्स्, मैन रोड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Real Fresh Brand) की 22 पैक्ड [illegible] (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से Refined Soyabean Oil (Real [illegible] Brand) की 4 पैक्ड बोतलों (प्रत्येक 500 एम.एल.) को [illegible] अधिनियम, 2006 के [illegible]	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट * सिरोही (राज०) *

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:23:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.135/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Real Fresh Brand) के नमूना संख्या S-2032 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./371/Act/2023/397 दिनांक 09.3.2023 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि फर्म भगवती फूड प्रोडक्टस, मैन रोड़, सिरोडी में प्रतिवादी हितेश पुरोहित ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Real Fresh Brand) का विक्रय किया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि फर्म भगवती फूड प्रोडक्टस, मैन रोड, सिरोही के मालिक (प्रोपराईटर) कन्हैयालाल पुरोहित (प्रतिवादी संख्या–2) है। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से उक्त खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Real Fresh Brand) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि फर्म भगवती फूड प्रोडक्स, मैन रोड, सिरोडी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Real Fresh Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी कन्हैयालाल पुरोहित स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Real Fresh Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी कन्हैयालाल पुरोहित पुत्र जसाजी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भगवती फूड प्रोडक्टस, मैन रोड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोह पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी कन्हैयालाल पुरोहित पुत्र जसाजी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आदि दिनांक 09.2.2024 को पेश हो। (डॉ. भास्कर बिश्नोई) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:23:59 IST
Reason: SelfAttested